राज्य अग्निशाम सेवा मुख्यालय, बिहार, पटना निविदा आमंत्रण सूचना सं0— 03/2016—17

- 1. विभाग का नाम :- बिहार राज्य अग्निशमन सेवा, गृह विभाग (आरक्षी शाखा)।
- 2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :-उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाऍ, बिहार, पटना ।
- 3. निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:-दिनांक 15/11/2016 समय- 16:00 बजे अप्रा0 तक.
- 4. निविदा प्रपत्र जमा करने का अंतिम तिथि एवं समय :-दिनांक- 16/11/2016 समय- 12:30 बजे अप्रा0 तक.
- 5. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय :-दिनांक- 16/11/2016 समय- 13:00 बजे अप्रा0 में.
- 6. निविदा समर्पित करने का स्थान :- बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, छज्जूबाग, बिहार, पटना- 800001 के कार्यालय भवन के मुख्य द्वार पर रखी निविदा पेटी (अन्य माध्यम/कुरियर/डाक से भेजा गया निविदा स्वीकार नहीं होगा) ।
- 7. कार्य का ब्योरा :-

Sl	Items Name	Quantity
No.		Sets /
		Nos.
1.	ABC Type portable Fire extinguisher 4 kg. capacity I.S. 15683	128 Nos.
2.	CO2 Portable Fire Extinguisher 4.5 kg. capacity I.S. 15683	32 Nos.

Sample of the above items shall be submitted along with the tender.

निवदा के नियमों, शर्त्तों एवं विशिष्टताओं की जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, छज्जुबाग से दूरभाष संख्या- 0612-2205809 मो0- 9473191903 से सम्पर्क किया जा सकता है।

उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाऍ, बिहार, पटना ।

CONTENTS OF BIDDING DOCUMENT

(As per Rule 131 M of the Bihar Finance (Amendment) Rule, 2005)

Chapter	Subject	Pages
1	2	3
Chapter: 1	Instructions to Bidders .	
Chapter: 2	Conditions of Contract.	
Chapter: 3	Schedule of Requirements.	
Chapter: 4	Specifications and allied Technical Details.	
Chapter: 5	Price Schedule (to be utilized by the bidders for	
	quoting their prices).	
Chapter: 6	Contract Form.	
Chapter: 7	Other Standard Forms, if any, to be utilized by	
	the purchaser and the bidders.	

<u>Chapter – 1</u> <u>TERMS & CONDITIONS OF TENDER NO- 03/2016-17</u>

- 1. Tender of the firms situated inside /outside the State will be accepted with the condition that if their tenders are approved, the firm shall get itself registered with the Commercial Tax Department, Bihar, before the purchase order is issued.
- 2. The bids should be submitted in two parts (1) Technical bid (II) Financial bid. The Technical bid and Financial bid should be submitted in two separate sealed envelopes. In case both the bids are submitted in the same envelope, it shall be summarily rejected.
- 3. The Technical bid and Financial bid should be sealed by the bidder in separate covers duly superscribed and both these sealed covers are to be put in a bigger cover which should also be sealed and duly superscribed. The technical bids are to be opened by the purchasing Department at the first instance and evaluate by the competent committee of authority. At the second stage financial bids of only the technically acceptable offers should be opened for further evaluation and ranking before awarding the contract.
- 4. The Technical bid shall contain certified copies of the following documents:-
- (a) Original tender documents duly signed and stamped.
- (b) Documentary evidence showing that the tenderer is a reputed manufacturer or authorised dealer. The tenderer must submit past experience document i.e. supply order etc. to support their past experience.
- (c) The firm should give after sale service in Bihar State. An undertaking for this should be attached with the technical bid.
- (d) Up-to-date income tax returns and a photo copy of PAN of the participating firm. I.T return should have stamp and signature of the concerned department, whether filed manually or electronically.
- (e) Bid Security: On the basis of the provisions of Rule 131. of the Bihar Finance (Amendment) Rules, 2005, the bidder will be required to submit bid security except those who are registered with the central purchase organizations/ NSIC or the concerned deptt. in the form of account payee demand draft payable at Patna, fixed deposit receipt, banker's cheque or bank guarantee from any of the commercial banks, in an acceptable form, as earnest money deposit (EMD) for item no.- 1– Rs. 13,000/- (Thirteen thousand) & Item no. 02 Rs. 4,500/- (Four thousand five hunderd). The bid security should remain valid for at least a period of 90 days from the date of submission of the bid.
- 5. The Financial Bid should quote only one price inclusive of all taxes and duties. All taxes and duties must be indicated clearly and separately. If there is some discount in the price of any item, it should be deducted from the price itself and should not be quoted separately.
- 6. Samples of the extinguisher shall be submitted along with the tender.
- 7. All Items will be received at Bihar State Fire Service Central Store, Patna City, Ashok Rajpath. Therefore price should be quoted FOR Bihar State Fire Service Central Store, Patna City Ashok Rajpath, Patna-800007.
- 8. The technical bid will be opened first on **16/11/2016** at **13:00** Hrs. in the Chamber of **D.I.G. cum Dy. Comdt. General**, Home Guard & Fire Services, Bihar, Patna located at Bihar Home Guards Hqtrs., Chhajubagh, Patna-1. The technical evaluation of paper shall be completed on the same day. The firm shall depute any technical expert with authorization letter to be present during review of technical bid. The successful firm will be informed for demo of the product on 16/11/2016 at 17:00 Hrs. The demonstration of all product will be conducted on **22/11/2016** at 11:00 A.M. at Kankarbagh, Fire Station premises, Patna. The Financial bid of the

final successful firm shall be opened for which they will be informed accordingly. The bidders or their authorized representatives may be present at the time of opening of the technical bid and the financial bid. The firm may have to participate in discussions with this committee. Any paper / document will not be accepted after opening of the tender.

9. Bids will be accepted as prescribed in this Bidding Document, which is to be obtained from the office of the D.I.G. cum Dy. Comdt. General, Home Guards & Fire Services, Bihar, Patna- 800001. The Bidding Document shall be purchased by means of a bank draft made in favour of the D.I.G. cum Dy. Comdt. General, Home Guards & Fire Services, Bihar, Patna, payable at Patna, as per face value to be calculated as below:-

For tender values up to Rs. 10,000/00 for 50/00, up to Rs. 50,000/00 for Rs. 250/00, up to Rs. 2,50,000/00 for Rs. 500/00, up to Rs. 5,00,000/00 for Rs. 750/00, up to Rs. 10,00,000/00 for Rs. 1250/00, up to Rs. 15,00,000/00 for Rs. 2500/00, up to Rs. 50,00,000/00 for Rs. 5,000/00, above Rs. 50,00,000/00 for Rs. 10,000/00. The bid application fee is non refundable.

Such bidders, who may have deposited Rs. 10,000/00 as Bid Application fee in the financial year 2016-17 in the Home Guard or Bihar State Fire Service Departments, are exempted from payment of bid value. However, they are required to submit an application to the D.I.G.-cum- Dy. Comdt. General, Home Guard & Fire Services, Bihar, Patna along with a copy of the relevant documents and obtain the Bidding Documents without further payment.

- 10. The financial bid of only those firms shall be opened which have been short listed by the central purchase committee on pre assigned date and time, after evaluation of the technical bid.
- 11. The date and time for opening the Financial bid shall be duly communicated to the firms who qualify in technical bid.
- 12. Price preference and other concessions for public sector and state suppliers: A maximum of 2 (two) percent price preference will be given to the goods produced by the large/medium industries (including Public Sector Undertakings) located and registered in the State over the goods produced by the large / medium industries located outside the State of Bihar. Similarly, 7 (seven) percent price preference will be given to the goods produced by the small scale units located and permanently registered in the State of Bihar over the goods produced by the small/medium/large industries located outside the State. While giving price preference, no relaxation shall be made in terms of quality and specifications. The small scale units located in Bihar shall not be liable to deposit earnest money. They will have to deposit only 20 percent of the general security amount. However, after receiving the purchase order, if they fail to supply the goods, without any appropriate reason, they will be blacklisted as per the procedure laid down. Permanent up to date registration papers of Industry Deptt. Govt. of Bihar are required with the technical bid for proof.
- 13. Performance Security- within 10 days of the receipt of notification of award from the department, the successful firm will have to enter into an agreement after depositing a sum of 5% of the total contract cost including cost of custom duty and other duties in the form of Postal Saving Pass Book/NSC/Bank Guarantee duly pledged in favour of the undersigned. After the supply is successfully completed and is found to be as per specifications, the performance security will be returned to the supplier.
- 14. Bid security of the unsuccessful bidders will be returned to them at the earliest after expiry of the final bid validity and latest on or before the 30th day after the award of the contract.
- 15. The firm whose quotation/Tender is approved shall be issued A/T (Acceptance of Tender). Purchase order shall be issued only after the firm enters into an agreement with the D.I.G., Home guard & Fire services. Terms & Conditions of the agreement shall be intimated in the A/T.

- 16. On acceptance of tender, these terms & conditions shall become a "Contract" and tenderer hereinafter called the "Contractor" shall be legally bound by these terms & conditions. The contractor shall execute an agreement on Non judicial stamp paper of Rs. 1000.00 within 10 days of the acceptance of his tender and in case of his/her failure do so, the DG, Home Guards & Fire Services shall be within his/her right to cancel the supply order and forfeit the earnest money.
- 17. The firm will be required to supply all the items within 01 month from the date of placing order Where the delivery is made after expiry of the above mandatory period, the levy of liquidated damages would be as follows:-

(a) For a delay of up to 15 days - 0.5 % of the cost of the late delivered item (s).

(b) For a delay of up to 30 days - 1.0 % of the cost of the late delivered item (s).

(c) For a delay of up to 45 days - 2 % of the cost of the late delivered item (s).

(d) For a delay of up to 60 days - 5 % of the cost of the late delivered item (s).

(e) For delay beyond 60 days - 10 % of the cost of the late delivered item (s) or the contract may be cancelled and

Performance Security amount will be confiscated.

- 18. However, in exceptional cases the D.G. cum Commandant General, Home Guard & Fire Services, Bihar, Patna will have the power to waive any of the above conditions, relating to liquidated damages, or to modify the same as he deems necessary.
- 19. The supplied items shall be inspected by the Inspection Committee of the department before payment is made. The Inspection Committee may reject the items which do not confirm to the specifications.
- 20. The successful Bidder will have to installed the Fire Extinguishers in different locations.
- 21. Director General-cum-Commandant General, Home Guards and Fire Services, Bihar, Patna, reserves the right to reject any or all the quotations partially or fully without assigning any reason. He may also increase/decrease the quantity of supply as per availability of funds and this will not be called into question by any party. Any representation regarding any objection pertaining to the tender process filed by any participating firm will be decided by the DG, Home Guard & Fire Services. The decision will be final.
- 22. Any litigation arising out of this tender shall only be initiated in the courts located at Patna. Besides, the contract will be interpreted under the Indian Laws.

By order of Director General—cum-Commandant General, Home Guards & Fire Services, Bihar, Patna.

D.I.G.-cum- Dy. Commandant General,
Home Guards & Fire Services,
Bihar, Patna.
Bihar Home Guards Head Quarters,
Chajjubagh, Patna-800 001, Bihar.
(Fax: 0612- 2222020)
[0612-2205809]

Chapter-2: Condition of Contract.

राज्य अग्निशाम सेवा मुख्यालय, बिहार, पटना लोदीपुर, बुद्ध मार्ग, पटना — 800001

क रा र ब न ध

	में		पुत्र	श्री				
.स्था	यी निवासी, मुहल्ला		पत्रालय		थाना	जिला		
	(एत्त पश्चात ठीकेदार / ठीकेदारों के रूप में निर्दिष्ट) ने आज दिनांक को एक ओर से स्वयं और दूसरी ओर बिहार के राज्यपाल (एत्त पश्चात							
निर्दिष्ट) ने आज दिनांक को एक ओर से स्वयं और दूसरी ओर बिहार के राज्यपाल (एत्त पश्चात								
राज्य	राज्यपाल के रूप में निर्दिष्ट) के बीच यह करार किया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें पारस्परिक रूप से तय हुई :-							
						ों में उल्लिखित तिथियों के		
पूर्व)	बिहार अग्निशाम सेव	ग के उपयो	गि हेतु संबंधित नि	विदा स्वीकृति (ए०) टी0) एवं क्रयादेः	श जिससे ठीका उपबंध है,		
						देष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं		
						रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम		
	सेवाएँ, बिहार, पटना /राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से ठीकेदार/ठीकेदारों को दिए गए क्रयादेश में समय पर अपेक्षित और विनिर्दिष्ट हो ।							
2)	यह करार निविदा	्रस्वीकृति र	संख्या	दिनांक	में नि	र्दिष्ट मदों जिनकी विवरणी		
					्रिते हेतु है । यह व	करार ठीकेदार / ठीकेदारों		
को	दिये सभी मदों की आ	ापूर्ति के ठीव	के पर समान रूप	से लागू होगा ।				
	मदों की विवरणी							
क्र0	मद का नाम विहित	गुण स्तर	अनुमोदित दर	आपूर्ति की मात्रा	निरीक्षण कक्ष	अभियुक्ति		
सं0								

- 3) राज्यपाल की ओर से महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना को अधिकार होगा कि वे किसी भी समय किसी भी मद की आवश्यकता की समीक्षा कर, विभाग की आवश्यकता के अनुरूप क्रयादेश में कमी या वृद्धि करें एवं यह परिवर्त्तन ठीकेदार / ठीकेदारों पर वाघ्यकारी होगा । राज्यपाल पर सम्बद्ध अवधि के दौरान ठीकेदार / ठीकेदारों से निविदा में विनिर्दिष्ट एवं घोषित परिणाम में मद / मदों का क्रय करने की कोई बाध्यता नहीं होगा।
- 4) सामानों को गंतव्य स्थान पर सभी मात्रा में एवं सही हालत में पहुँचाने का सम्पूर्ण दायित्व ठीकेदार पर होगा ।
- 5) ठीकेदार द्वारा ठीके के अन्तरण, समउपवेशन या उप-पट्टे पर दिये जाने की कोई मान्यता नहीं होगी ।
- 6) किसी भी मद की आपूर्ति हेत् किये गये क्रयादेश में अंकित शर्त करारबन्ध का अविभाज्य अंग मानी जायेगी ।
- 7) प्रत्येक मद हेतु अनुमोदित दर, जो शर्त—2 के निचे विवरणी में अंकित है, सभी प्रकार क कर शुल्क (डी०जी०एस० एण्ड डी० जॉच शुल्क सिहत) पैकिंग खर्च परिवहन खर्च सिहत एफ०ओ०आर० पटनासिटी अग्निशामालय है । ठीकेदार खर्च सिहत किसी भी परिस्थिति में अनुमोदित दर में वृद्धि की मांग के हकदार नहीं होगें।
- 8) ठीकेदार को जारी की गई निविदा स्वीकृति में प्रतिभूति धन की राशि निर्धारित है जिसे ठीकेदार द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक जमा करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किया जायेगा । निर्धारित तिथि तक प्रतिभूति धन की राशि जमा न किए जाने पर ठीकेदार को निविदा स्वीकृत रद्द कर अन्य ठीकेदार को ठीका देने का तथा निविदा के साथ समर्पित व्याज की राशि जप्त करने का अधिकार राज्यपाल की ओर से महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना को होगा एवं इस हेतु कोई अपील मान्य नहीं होगा ।
- 9) लघु उद्योग इकाई को देय अधिमानताओं के दावेदार / दावेदारों को आज से तीन दिनों के अन्दर सक्षम पदाधिकारी का यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी इकाई संबंधित मद हेतु उत्पादन रत है तथा उनके द्वारा दावाकृत उत्पादित क्षमता सही है । इस प्रमाण के बिना क्रयादेश निर्गत नहीं किया जायेगा तथा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ तो बिना किसी नोटिश के रदद किया जा सकेगा ।
- 10) सामान्यतः आपूर्ति के अवधि के विस्तार के लिये कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में मदों की आपूर्ति हेतु क्रयादेश अंकित तिथि को बढ़ाने का अधिकार राज्यपाल की ओर से महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना को होगा ।
- 11) टेंडर डाक्यूमेंट में निहित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जायेगी ।
- 12) यदि ठीकेदार क्रयादेश में निर्धारित अवधि में क्रयादेशित मात्रा से कम की आपूर्ति करेंगें अथवा कोई आपूर्ति नहीं करेगें तो अनापूरित मात्रा में उक्त सामान का स्थानीय क्रय खुले बाजार से कर लेने एवं अनुमोदित दर से अधिक जो भी व्यय ऐसे स्थानीय क्रय में हो उस राशि को ठीकेदार से वसुल करने का अधिकार राज्यपाल की ओर से महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना को होगा ।
- 13) क्रयादेश किये जाने पर आपूर्ति समय पर नहीं करने अथवा विहित गुणस्तर के अनुसार नहीं करने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता के प्रकाश में आने पर एक साधारण नोटिस के द्वारा आपूर्ति पर रोक लगाकर ठीका रद्द किया जा सकेगा और इसके लिए न कोई कारण—नोटिस दी जायेगी और न किसी प्रकार के दावे पर अपील स्वीकार की जायेगी । ऐसे ठीकेदार को भविष्य में बिहार अग्निशाम सेवा द्वारा दिये जाने वाले ठीकों से भी वंचित किया जा सकेगा ।
- 14) निविदा में उल्लेखित मदों के अन्तर्गत की गयी आपूर्ति की जांच एवं उनका भौतिक निरीक्षण महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा ।
- 15) डी० जी० एस० एण्ड डी० से अपने सामान की जॉच निर्धारित अवधि के अन्दर पूरी करने का संपूर्ण दायित्व ठीकेदार पर होगा एवं डी० जी० एस० एण्ड डी० अथवा निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित किसी भी जांच पर होने वाला पूरा व्यय ठीकेदार वहन करेंगें।
- 16) वैसे मद जिनका आई० एस० आई० / आई० एस० ओ० निर्धारित है, उनका अनुमोदित नमूनों के गुणस्तर एवं फिनीस के शत—प्रतिशत अनुरूप होगी । इन मदों का निरीक्षण महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित नमूने के आधार पर किया जायेगा ।

- 17) विशेष परिस्थिति में किसी मद का निरीक्षण किसी जांच संस्था समिति से कराने अथवा न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना को होगी तथा इस विषय में उनका निर्णय ठीकेदार को बिना शर्त मान्य होगा ।
- 18) महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार,पटना द्वारा गठित निरीक्षण सिमित द्वारा किसी मद की स्वीकृति किये जाने पर किसी अन्य संस्था (सिमित) व्यक्ति द्वारा पूर्व में किये जॉच के परिणाम अथवा भविष्य में जॉच कराने के अनुरोध पर आधारित कोई दावा या अपील मान्य नहीं होगें । सिमिति द्वारा किसी मद की अस्वीकृति की सूचना भेजने के दस दिनों के भीतर एक बार अपील महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार,पटना का निर्णय अन्तिम होगा और उसके विरूद्ध कोई अपील मान्य नहीं होगी ।
- 19) निरीक्षण समिति द्वारा अस्वीकृति की सूचना ठीकेदार को दी जायेगी । सूचना में अंकित तिथि तक अस्वीकृत सामानों को अपने खर्च पर ठीकेदार भण्डार से उठा ले जायेगें अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद उनसे गोदान किराया—दर पचास पैसे प्रति किलो प्रतिदिन चार्ज किया जायेगा । भण्डार से अस्वीकृत सामानों को हटा ले जाने के लिये निर्धारित तिथि के हर माह के बाद यदि ठीकेदार सामानों को भण्डार से नहीं हटायेगें तो उन सामानों को निलाम करने एवं निलामी से प्राप्त राशि से गोदाम किराया, निलामी का खर्च एवं क्षतिपूर्ति की राशि वसूल करने का अधिकार राज्यपाल की ओर से महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना को होगा ।
- 20) निरीक्षण समिति द्वारा अस्वीकृत अथवा समिति के निरीक्षण के लिये लिम्बित सामानों की सुरक्षा का दायित्व पूर्ण रूप से ठीकेदार पर होगा एवं किसी प्रकार के क्षति के लिये ठीकेदार स्वयं उत्तरदायी होगें ।
- 21) ठीकेदार द्वारा, निविदा पुस्तिका, घोषणा—पत्र, विभिन्न प्रमाण—पत्र एवं अन्य पत्राचार में प्रेषित की गई सूचना अथवा लिखा गया कोई दावा असत्य सिद्ध होने पर उसे धोखाधड़ी का मामला माना जायेगा तथा संबंधित ठीकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।
- 22) आवश्यकतानुसार ठीकेदार को अनुमोदित नमूनों के अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिये बाघ्य किया जा सकेगा ।
- 23) इस ठीके से संबंधित सभी अपील अनिवार्यतः महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार,पटना को संबोधित किये जायेंगें। सभी पत्राचार, अभ्यावेदन उप महानिरीक्षक—सह—उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना / राज्य अग्निशमन पदाधिकारी—सह—निदेशक, बिहार, पटना को संबोधित किये जायेगें। किसी भी ठीकेदार के लिए क्रय समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य पदाधिकारी को पत्राचार, अपील संबोधित करना अनियमित होगा एवं उस पत्राचार से अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 24) इस ठीके से संबंधित किसी मामले से उत्पन्न कोई विवाद केवल बिहार की राजधानी, पटना में अवस्थित न्यायालय में निपटाये जायेगें अन्यत्र नहीं ।
- 25) नई करारबन्ध महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा,बिहार, पटना के अधिकार में या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के अधिकार में रखा जायेगा ।
- 26) निविदा से संबंधित कोई भी बैंक ड्राफ्ट आदि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी—सह—निदेशक, बिहार, पटना के पदनाम से जो पटना में भुगतेय हो दिया जा सकेगा।
- 27) सफल निविदाकर्त्ता को चैप्टर—1 के संबंधित कंडिका में अंकित दिनों के अन्दर उल्लेखित सामानों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित अवधि तक सामानों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर इसी चैप्टर (इन्सट्रक्शन टू बिडर्स) में लेभी (उगाही) के रूप में उल्लेखित राशि की वसूली की जायेगी एवं इस लेभी (उगाही) को घटाने—बढ़ाने का अधिकार महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना को होगा ।
- 28) ठीकेदारी में किसी प्रकार का विवाद होने पर निविदाकर्त्ता लिखित रूप में उप महानिरीक्षक—सह—उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा,बिहार, पटना / राज्य अग्निशमन पदाधिकारी—सह—निदेशक, बिहार, पटना के पास आवेदन दे सकते है जो साधारणतः पाच दिनों के अन्दर निष्पादन कर संबंधित ठीकेदार को सूचित कर देगें । इसके लिये ठीकेदार कोई विशेषज्ञ की परामर्श ले सकते है । यदि निविदाकर्त्ता अधोहस्ताक्षरी के निर्णय से असंतुष्ट हों तो महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना के यहां एक सप्ताह के अन्दर अपील कर सकते है जो साधारणतः पांच दिनों के अन्दर इसका निष्पादन कर देगें । उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

- 29) निविदाकर्त्ता को अनुभव, पूर्व की कार्यदक्षता, तकनीकी क्षमता, उत्पादन क्षमता तथा वित्तीय क्षमता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । अगर कोई स्थानीय प्रतिनिधि/डीलर निविदा देता है तो उसे उत्पादनकर्त्ता का उल्लेखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा ।
- 30) सफल आपूर्तिकर्त्ता निविदाकर्त्ता को 5 प्रतिशत ''परफौमेन्स सिक्यूरीटी'' के रूप में पोस्टल सेविंग पासबुक / एन0 एस0 सी0 / बैंक गारंटी आदि देना होगा । ''बीड सिक्यूरीटी'' सफल निविदाकर्त्ता के द्वारा परफौमेन्स सिक्यूरीटी'' प्राप्ति के बाद लौटा दिया जायेगा ।
- 31) मैने । हम इस करारबन्ध के सभी शर्ता प्रावधानों को पढ़कर भली—भॉति समझा एवं इसे <u>सहर्ष स्वीकार करता हूँ /</u> करते है ।

एक हजार रूपये का एडेसिव स्टाम्प

स्थायी पता :-

ठीकेदार का हस्ताक्षर(एडेसिव स्टाम्प पर)	बिहार राज्यपाल के आदेश से महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर(कार्यालय मुहर तथा तिथि)
साक्षी का हस्ताक्षर (मुहर यदि हो) तिथि अंकित करें	
साक्षी का पूरा नाम :	

Chapter – 3 : Schedule of Requirements

Sl. No	Item's Name and brief Specification	Quantity Sets/ Nos.	Delivery Schedule
1.	ABC Type portable Fire extinguisher 4 kg. capacity I.S. 15683	128 Nos.	30 Days
2.	CO2 Portable Fire Extinguisher 4.5 kg. capacity I.S. 15683	32 Nos.	30 Days

- 2. Where the delivery is made after expiry of the above mandatory period, the levy of liquidate damages will be as follows:-
- (a) For a delay of up to 15 days 0.5 % of the cost of the late delivered item (s).
- (b) For a delay of up to 30 days (c) For a delay of up to 45 days 2 % of the cost of the late delivered item (s).
- (c) For a delay of up to 45 days (d) For a delay of up to 60 days 5 % of the cost of the late delivered item (s).
- (e) For delay beyond 60 days 10 % of the cost of the late delivered item (s).
- or the contract may be cancelled and

Performance Security amount may be confiscated.

3 . Performance Secutity:

Performance Security will be obtained from every successful bidder irrespective of its registration status etc. The same will be accepted in the form of Account payee Demand Draft payable at Patna, Fixed Deposit Receipt from a Commercial bank, Bank Guarantee from a Commercial bank in an acceptable form. The Performance Security, for each item, will be 5% of the value of the contract.

4. The Performance Security is liable to be confiscated in accordance with 2(e) above.

Chapter- 4: Specification and allied Technical Details

IS No. 15683

Chapter- 5: Price Schedule (to be utilized by the bidders for quoting their prices).

Not supplied by the Department

Chapter-6: Contract Form

Same as chapter 2 of this Bidding Document

Chapter – 7: Other Standards Forms if any, to be utilized by the purchaser and the bidders.

Not supplied by the Department

By order of Director General –cum-Commandant General, Home Guards & Fire Services, Bihar, Patna.

> **D.**I.G.—cum- Dy. Commandant General, Home Guards & Fire Services, Bihar, Patna. Bihar Home Guards Head quarters, Chajjubagh, Patna-800 001, Bihar. (Fax: 0612- 2221192) [0612-2205809]